प्रेषक,

सोमनाथ,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 17 जुलाई, 2026

**विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-58 में कृषि विपणन योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 07 मार्गों के चालू कार्यों पर अवशेष धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र(निम्न तालिका के कॉलम-2 में उल्लिखित पत्र) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार कृषि विपणन योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 07 मार्गों के चालू कार्यों हेतु तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में उक्त चालू कार्य पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में तालिका के स्तम्भ-12 के अनुसार कुल रू0 2,16,75,000/- (रूपये दो करोड़ सोलह लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

**(धनराशि रू0 लाख में)**

| क्र. | मुख्य अभियन्ता मु0-) (1,लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र | खण्ड/ जनपद का नाम | मार्ग का नाम | स्वीकृति का शासनादेश संख्या | स्वीकृत लागत/ प्रावैधिक स्वीकृति | बचत | बचत की उपरांत कार्य की लागत | अब तक आवंटन | अनुरक्षण की धनराशि | प्रावैधिक स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष (8)-(9+10) | वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 23702/CE-HQ1/VR(PUR NIRMAN)/PRJ /2026-27 Dt-14-07-2026 | नि.ख.-1 प्रतापगढ | ग्रामरैयापुर के अन्तर्गत बन्तरी का पुरवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 179/2025/1607/001-23-9002(001)-9-2025-दिनांक-07-11-2025 | 131.41 / 117.77 | 0.00 | 117.77 | 37.22 | 6.73 | 73.82 | 70.00 |
| 2 | 23702/CE-HQ1/VR(PUR NIRMAN)/PRJ /2026-27 Dt-14-07-2026 | नि.ख.-1 प्रतापगढ | इंहिया से बसहीपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 179/2025/1607/001-23-9002(001)-9-2025-दिनांक-07-11-2025 | 108.57 / 102.36 | 0.00 | 102.36 | 31.18 | 5.11 | 66.07 | 55.00 |
| 3 | 23705/CE-HQ1/VR(PUR NIRMAN)/BA N/2026-27 Dt-14-07-2026 | प्रा.ख. हमीरपुर | हमीरपुर राठमार्ग एस0एच0-42 से अमिरता डेरा सम्पर्क मार्ग। | 179/2025/1607/001-23-9002(001)-9-2025-दिनांक-07-11-2025 | 124.28 / 124.28 | 8.40 | 115.88 | 1.00 | 8.41 | 106.47 | 25.00 |
| 4 | 23705/CE-HQ1/VR(PUR NIRMAN)/BA N/2026-27 Dt-14-07-2026 | प्रा.ख. हमीरपुर | गढा सन्तकुटी मार्ग के किमी0 01 से केवट का डेरा, मनुआ का डेरा मार्ग का नवनिर्माण कार्य । | 228/2025/2160/001-23-9002-002/57/2025-दिनांक-03-12-2025 | 187.01 / 187.01 | 16.79 | 170.22 | 1.05 | 12.78 | 156.39 | 20.00 |
| 5 | 23700/CE-HQ1/AV/GON/ 2026-27 Dt-14-07-2026 | नि.ख.-2 गोण्डा | कटुआ नाला से अहिरनपुरवा मितइन पुरवा होते हुए बहराइच सीमा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य | 206/2016/113आ0 व्या0वि0नि0/23-10-16-11(व्या0वि0नि0)/16, दि-22.11.2016 | 134.50 (पुनरीक्षित लागत रू0 143.00 लाख) | 0.00 | 143.00 | 134.50 | 8.50 | 0.00 | 8.50 |
| 6 | 23700/CE-HQ1/AV/GON/ 2026-27 Dt-14-07-2026 | नि.ख.-2 गोण्डा | सोनौली मोहम्मदपुर मुख्य मार्ग से दूबेपुरवा, घटहनपुरवा होते हुये बच्ची माझा | 238/2016/253आ0 व्या0वि0नि0/23-10-16- | 235.17 (पुनरीक्षित लागत रू0 248.19 लाख) | 0.00 | 248.19 | 235.17 | 13.02 | 0.00 | 13.02 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

| क्र. | मुख्य अभियन्ता मु0-) (1,लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र | खण्ड/ जनपद का नाम | मार्ग का नाम | स्वीकृति का शासनादेश संख्या | स्वीकृत लागत/ प्रावैधिक स्वीकृति | बचत | बचत की उपरांत कार्य की लागत | अब तक आवंटन | अनुरक्षण की धनराशि | प्रावैधिक स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष (8)-(9+10) | वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | प्राइमरी स्कूल तक सम्पर्क मार्ग | 19(व्या0वि0नि0)/16, दि-15.12.2016 | | | | | | | |
| 7 | 23700/CE-HQ1/AV/GON/ 2026-27 Dt-14-07-2026 | नि.ख.-2 गोण्डा | आदमपुर मुख्य मार्ग से विशेनपुरवा कलहंसपुरवा होते हुये बरौली बाजार तक सम्पर्क मार्ग | 238/2016/25आ0 व्या0वि0नि0/23-10-16-19(व्या0वि0नि0)/16, दि-15.12.2016- | 467.74 (पुनरीक्षित लागत **रू0 492.97 लाख**) | 0.00 | 492.97 | 467.74 | 25.23 | 0.00 | 25.23 |
| | | | | | | | | | | योग | 216.75 |

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी नई प्रयोजना के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मार्गों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(3) ) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्तम्भ -5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(5) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(6) उक्त चालू कार्यों की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा।

(7) उक्त परियाजनाओं हेतु यह सुनिश्चित करें कि स्वीकृत लागत में सम्मिलित अनुरक्षण की धनराशि को चालू कार्यों के भुगतान के साथ व्यय नहीं किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,16,75,000 ( रुपये दो करोड़ सोलह लाख पचहत्तर हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043371500 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण/पुननिर्माण/मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों के चालू कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।

**<u>संख्या- उपरोक्त एवं तददिनांक।</u>**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:**

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।

2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।

3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.nic.in

4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।